राजस्व विविध सं 2024/362 अनवान रेखा घोडावत वगैरा बनाम दरिया कंवर वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप।	

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पर वकील प्रार्थी श्री नरपतसिंह चौहान एवं वकील अप्रार्थीगण श्री नरेन्द्रसिंह सोनीगरा व देवेन्द्रसिंह की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों ने उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2839, 2849 से 2856 तथा पडोसी खसरा नंबर 2841 के खातेदारान् दरियाकंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह वगैरा के मध्य सीमा विवाद होने से ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2839, 2849 से 2856 के पुर्व खातेदार नाथुसिंह पुत्र लखा गुर्जर के आवेदन पर तहसीलदार बाली के आदेश से पटवारी नाणा, पटवारी चामुण्डेरी व निरीक्षक भू.अ. चामुण्डेरी के संयुक्त दल द्वारा मौके पर पहुंच कर सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई। पत्रावली पर मौजुद मौका फर्द दिनांक 14.06.2024 में उल्लेखित तथ्यों से यह ज्ञात है कि मौके पर विवाद होने की संभावना होने से बिना पुलिस इम्दाद के सीमांकन किया जाना असंभव है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य माठ का विवाद स्थायी तौर पर समाप्त नही होने से पत्थरगढी का उक्त आवेदन किया है अतः नियमानुसार पत्थरगढी के आदेश दिये जाने की दलील दी। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं 01 से 05 तथा 8 के मध्य माठ का कोई विवाद नही है। ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2839, 2849 से 2856 के खातेदारान प्रार्थीगण के मध्य ही माठ का विवाद है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते हे कि प्रार्थीगण की धारित खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नंबर 2839 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 1.94 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नंबर 2855 रकबा 0.06 हैक्टर व खसरा नंबर 2856 रकबा 0.21 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2841 रकबा 2.08 हैक्टर के जमाबंदी में दर्ज रकबा के अनुसार नाप–चौक करे, नाप–चौक के पश्चात जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल से भिन्नता पाई जावें तो तदनुसार जमाबंदी के क्षेत्रफल के अनुसार मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तहसीलदार बाली को

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... इस हुक्म की ... हु...
न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)	1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

दिनांक : 23-06-2025

कमांकः कोर्ट/2025/770

प्रार्थी
रेखा घोडावत पत्नी संदीपजी घोडावत
जाति जैन निवासी सुमेरपुर वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण
दरिया कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी
राणावतान तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2024/362

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नंबर 2839 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 1.94 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नंबर 2855 रकबा 0.06 हैक्टर व खसरा नंबर 2856 रकबा 0.21 हैक्टर के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन (SDO) अधिकारी, बाली

कमांकः कोर्ट/2025/771

दिनांक : 23-06-2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाना
3. हल्का पटवारी चामुण्डेरी को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. रेखा घोडावत पत्नी संदीपजी धोडावत जाति जैन निवासी सुमेरपुर वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन (SDO) अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner